न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1104/2026

(CNR No.UPBH01003213–2026)

सूरज पुत्र प्यारे लाल उम्र 19 वर्ष, निवासी–चमारनपुरवा टेपरा, दा०–वैवाही, थाना–खैरीघाट, जनपद–बहराइच––– ––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य––– ––––अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–83/2025,
धारा–105, 123 बी०एन०एस०,
थाना–दरगाह शरीफ, जनपद–बहराइच।

–––

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

04.06.2026

1. थाना–दरगाह शरीफ, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–83/2025, अन्तर्गत धारा–105, 123 बी०एन०एस० में आवेदक/अभियुक्त सूरज की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रथम है। किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न लम्बित है न ही निरस्त हुआ है।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व सम्बन्धित थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रामनरेश द्वारा न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसका पुत्र रोहित इन्टरमीडिएट व विपक्षीगण इन्टरमीडिएट जी०आई०सी० इण्टर कालेज बहराइच में पढ़ रहे थे। रोहित व विपक्षी सं०–2 रिंका देवी सगे चचेर भाई–बहन हैं तथा दिनेश चन्द्र शर्मा के मकान में किराये पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। विपक्षी सं०–1 सूरज भी पड़ोस में कमरा लेकर पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान विपक्षी सं०–1 सूरज का अवैध सम्बन्ध विपक्षी सं०–2 रिंका देवी से हो गया। उसके लड़के ने घटना से दो दिन पूर्व विपक्षी सं०–1 सूरज को विपक्षी सं०–2 रिका देवी के साथ अपने कमरे में सम्भोग करते हुए पकड़ लिया तथा विपक्षी सं०–1 सूरज का मोबाइल उठा लिया और मोबाइल में विपक्षी सं०–1 एवं 2 का कोई अश्लील देखा, जिसकी शिकायत घर पर करने को कहा, इसी बात पर विपक्षी घटना दबाने के लिए उसके लड़के रोहित को दिनांक–14/15.10.2024 की रात में गुलाम अलीपुरा वाले कमरे में खाने में जहर दे दिया, जिससे

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.06.04 19:55:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक–16.10.2024 को समय 12:30 बजे दिन में दौरान इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में रोहित की मृत्यु हो गई। रोहित का पोस्टमार्टम के०जी०एम०यू०लखनऊ में किया गया।

5. वादी के उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० के आधार पर न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक–27.03.2025 को समय 16:15 बजे आवेदक/अभियुक्त सूरज व सह अभियुक्ता रिंका देवी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–83/2025, अन्तर्गत धारा–123 व 105 बी०एन०एस० के अपराध में थाना–दरगाह शरीफ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुये कहा कि आवेदक/अभियुक्त को महज हैरान एवं परेशाने करने की नीयत से झूंठा फंसाया गया है, जबकि उसने किसी प्रकार का संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध नहीं किया है। मात्र मृतक की बड़ी बहन के उकसावे में आकर झूंठा मुकदमा लिखवा दिया है। वह निर्दोष है। घटना दिनांक–14/15.10.2024 की बतायी गयी है, जबकि थाने पर सूचना दिनांक–27.03.2025 को साढे पांच माह बाद दर्ज करायी गयी है, जो अभियोजन द्वारा घटना को विचारोपरान्त विधिक राय लेकर दर्ज करवाया है, जिसके विलम्ब का अभियोजन के पास कोई उचित कारण नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा सम्भोग करते पकड़ने का कथन किया गया है, जबकि मकान मालिक ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, न ही अभियोजन पक्ष की तरफ से उक्त वीडिया या आडियो दाखिल किया गया है, न ही साक्ष्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 65 बी(4) के अनुपालन में कोई साक्ष्य ही दाखिल किया है। यदि सम्भोग की घटना मृतक ने देखी थी तो मृतक व अभियुक्त के मध्य दुश्मनी हो जाती और आपस में उठना–बैठना बन्द हो जाता। किसके द्वारा खाना दिया गया, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अभियोजन पक्ष की कहानी पूर्णतया सुने सुनाये साक्ष्य पर आधारित है, जिसकी किसी प्रकार की ग्राह्यता साक्ष्य में नहीं है। मृतक पूर्ण होश–हवाश में था, परन्तु न तो अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सक के समक्ष व किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष मृत्यु कालिक कथन करवाया, जिससे घटना के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का पता चल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट/विसरा में किसी प्रकार का कोई जहर/विष नहीं पाया गया है, जिससे उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बनती है। घटना के समय वह अपने गांव पर उपस्थित था, इसलिए उसके सम्बन्ध में प्ली ऑफ एलीबाई का नियम लागू होता है। आवेदक/अभियुक्त एक छात्र है तथा किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप अजमानतीय है तथा थाना–दरगाह शरीफ की पुलिस बराबर दबिश दे रही है, जो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, जिससे उसकी पढ़ाई पर दुष्प्रभाव पड़ेगा तथा समाज में प्रतिष्ठा गिर जायेगी। उपरोक्त तर्कों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जामनत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

7. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वादी के पुत्र रोहित(मृतक) व

सह अभियुक्ता रिंका देवी, जो आपस में चचेरे भाई–बहन हैं, किराये के मकान में पढ़ाई हेतु रह रहे थे। आवेदक/अभियुक्त भी पड़ोस में कमरा लेकर पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान आवेदक/अभियुक्त का अवैध सम्बन्ध सह अभियुक्ता रिंका देवी से हो गया। घटना से दो दिन पूर्व आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्ता रिंका देवी को सम्भोग करते वादी के पुत्र रोहित ने देख लिया तथा आवेदक/अभियुक्त का मोबाइल उठा लिया, जिसमें उनके अश्लील फोटो थे, जिसकी शिकायत घर पर करने को रोहित ने कहा, तो उक्त घटना को छिपाने के लिए अभियुक्तगण ने उसके खाने में जहर दे दिया, जिससे उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। मृतक का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण निश्चित न होने के कारण विसरा संरक्षित किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट में अल्युमिनियम फास्फाइड विष पाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। घटना का समर्थन वादी एवं अन्य गवाहान ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयान में किया है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य संकलित होना शेष है। आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की दशा में वह विवेचना में सहयोग नहीं करेगा तथा साक्ष्य को प्रभावित करेगा एवं उसके नेपाल राष्ट्र फरार हो जाने की संभावना है। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग है कि उसने सह अभियुक्ता के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी के पुत्र रोहित, जिसने आवेदक/अभियुक्त को सह अभियुक्ता के साथ सम्भोग करते व मोबाइल में अश्लील फोटो, वीडियो देख लिया था और घर पर शिकायत करने को कहा था, की जहर देकर हत्या कारित कर दी। केस डायरी के साथ डा० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ द्वारा पुलिस को मृतक रोहित कुमार की दिनांक–16.10.2024 को मृत्यु होने की सूचना दिये जाने का प्रपत्र संलग्न है। केस डायरी के साथ संलग्न पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसी दिन मृतक रोहित कुमार का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक रोहित की मृत्यु का कारण निश्चित न होने के कारण विसरा संरक्षित करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ परीक्षण हेतु भेजा गया। केस डायरी के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, जिसमें विसरा के भाग 1–5 व वस्तु 6 में अल्युमिनियम फास्फाइड विष पाये जाने का उल्लेख है। केस डायरी के पर्चा सं०–21 में वादी रामनरेश ने विवेचक को दिये अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए आवेदक/अभियुक्त को सह अभियुक्ता के साथ सम्भोग करते हुए रोहित द्वारा पकड़ लेने, आवेदक/अभियुक्त के मोबाइल में अश्लील फोटो व वीडियो देखने पर घर पर शिकायत करने की बात कहने, उक्त घटना को दबाने के लिए दिनांक–14/15.10.2024 की रात में अभियुक्तगण द्वारा उसके पुत्र रोहित को खाने में जहर दे देने तथा दौरान इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में उसकी मृत्यु होने का अभिकथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–30 में वादी की

पुत्री गीता देवी उर्फ रेशमा ने विवेचक को दिये अपने बयान में उक्त कथनों के समान कथन किया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। केस डायरी के विभिन्न पर्चों में विवेचक ने यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त के घर एवं मिलने वाले सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गई, किन्तु अभियुक्त सूरज दस्तेयाब नहीं हुए। अभियोजन का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। मामले की विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य संकलित होना शेष है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त को धारा–482 बी०एन०एस०एस० का लाभ दिया जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सूरज की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–83/2025, अन्तर्गत धारा–105 व 123 बी०एन०एस०, थाना–दरगाह शरीफ, जनपद–बहराइच में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,बहराइच।

दिनांक–04.06.2026 **I.D. UP–2017**